# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

बअनुवानः **पृथ्वी वगै बनाम हरवरी वगै0 प्रा0पत्रसं0** 142/**2024**

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 27.11.2024 | विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी उप0। आज यह प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत धारा –212 आर0टी0एक्ट का प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि विवादित **आराजी खसरा नंबर 1106/0.42, 1312/0.27, 1313/0.20, 138/0.20, 285/1464/0.03, 301/0.09, 315/0.09, 448/0.24, 450/0.10, 454/0.09, 46/0.35, 47/0.29, 48/0.32, 562/0.10, 704/0.07 वाके ग्राम नाहिडा तहसील महवा जिला दौसा** में स्थित है। गैरसायलान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे, कि वे सायल विवादित आराजी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में बाधा पैदा नहीं करें सायल को काश्त करने, जुताई, बुबाई करने से नहीं रोंकें तथा अपने शेयर से अधिक पार्ट पर काश्त करने का प्रयास नहीं करें और न अपने ऐजेन्टों से करावें। साथ में शपथ –पत्र है।<br>प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्न तीन महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर जॉचना आवश्यक है:–<br>(अ) मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वत्व/कब्जा होना आवश्यक है।<br>(ब) प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष में झुकाव होना आवश्यक है।<br>(स) प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है ,तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना साबित होनी चाहिए।<br>वकील वादी/प्रार्थी की उपस्थिति में हाजा न्यायालय में आज अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। बाद गौर बहस आराजी हाल **आराजी खसरा नंबर 1106/0.42, 1312/0.27, 1313/0.20, 138/0.20, 285/1464/0.03, 301/0.09, 315/0.09, 448/0.24, 450/0.10, 454/0.09, 46/0.35, 47/0.29, 48/0.32, 562/0.10, 704/0.07 वाके ग्राम नाहिडा तहसील महवा जिला दौसा** पर अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जाता है कि वे विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति रखें। रहन बय मुन्तकिल न करें। **अप्रार्थीगण जरिये Reg. Ad. तलब हों।**<br>अप्रार्थीगण जरिये **Reg. Ad.** तलब होकर पेश हो, इस संबंध में कोई आक्षेप हो तो **दिनांक** 20.12.24 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>महवा (दौसा)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>महवा (दौसा) | |

09.12.2024

आज पत्रावली पेश हुयी वकील प्रार्थी ने दावा में प्रा० पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है इसलिए दावा आगे चलाना नही चाहते है। दावा वादी खारिज किया जा चुका है। इसलिए इस प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी स्थगन आदेश दिनांक 27.11.2024 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।

आदेश सुनाया गया।

Manikant
SDO
Mahwa

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा